



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 875
प्रति,

दिनांक : 29/7/17

प्राचार्य,
श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन
51/1/2, बड़बड़, सैलाना रोड, ऑरो आश्रम के पास, रतलाम।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक / 95, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन, रतलाम में सत्र 2017-18, से बी.कॉम.(आनर्स)-तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेन ट्रेड, टैक्स प्रोजेक्ट एण्ड प्रेक्टिस / प्लेन), पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.कॉम.(आनर्स)-तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेन ट्रेड, टैक्स प्रोजेक्ट एण्ड प्रेक्टिस / प्लेन), पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।


उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.सी.ए.	60
02.	बी.बी.ए.	60
03.	बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान)	60
04.	बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	60
05.	बी.कॉम.(फारेन ट्रेड)	60
06.	बी.कॉम.(टैक्स प्रोजेक्ट एण्ड प्रेक्टिस)	60
07.	बी.कॉम.(प्लेन)	60

शर्त :- 01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों का चयन शिघ्र कराये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

निरंतर...02

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ।
8. वेदसाधु प्रभारी की ओर अपलोड हेतु।

उपकुलसचिव(अकादमिक)